राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : http://rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/रो.उ.प./2020–21/ 1955 दिनांकः 08/02/2021

कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य हेतु अल्पकालीन ई–निविदा सूचना वर्ष 2020–21

निगम द्वारा आगामी एक वर्ष (12 माह) के लिए कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य की दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी मुद्रणालयों से अल्पकालीन ई–निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹ लाखों में)	ई–निविदा शुल्क (₹)	ई–निविदा प्रपत्र विक्रयं प्रारम्भ की तिथि	प्रि–बिड मीटिंग की तिथि व समय	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	ई–निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य HSN Code - 4809	425.00	4.25 के रूप में घोषणा पत्र	2000.00	08.02.2021	12.02.2021 3.30 PM	19.02.2021 12.00 बजे तक	19.02.2021 03.00 PM तक	19.02.2021 04.00 PM

नोटः– वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बोली प्रतिभूति के पेटे राशि रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट "http://eproc.rajasthan.gov.in" से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट "www.dipronline.org" एवं http://rmsc.health.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। अल्पकालीन ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट "http://eproc.rajasthan.gov.in" पर ही प्रस्तुत की जाएगी। **ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 2000.00 (₹ 1000.00 एसएसआई यूनिट राजस्थान के लिए), RISL प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 व ईएमडी राशि के अलग–अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 19.02.2021 समय दोपहर 2.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अथवा** तीन पृथक–पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'श')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से **निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या–2246002100024414 IFS Code PUNB0224600** में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) अल्पकालीन ई–निविदा के समय **19.02.2021** अपराह्नं 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी

ई–निविदा

कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण फार्म हेतु अल्पकालीन ई–निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2020–21

निविदा क्रमांक :	एफ.9()/आरएमएससी/भण्डार/रो.उ.प./2020–21/ दिनांक:
प्रि–बिड दिनांक, समय व स्थान :	12.02.2021 समय अपराह्न 3.30 बजे स्थान कमरा संख्या–205 डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, जयपुर (राज.)
ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय :	19.02.2021 समय अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क: राजस्थान की एसएसआई इकाइयों के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क:	₹ 2000.00 ₹ 1000.00 राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि0, जयपुर के पक्ष में देय
RISL प्रोसेसिंग शुल्क:	₹ 1000.00 (आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय)

अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस एवं ईएमडी के डी.डी./बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से आरएमएससी, डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर के कक्ष संख्या 105 में दिनांक 19.02.2021 समय दोपहर 2.00 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होगें **अथवा** तीन पृथक–पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'श')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या– 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) अल्पकालीन ई–निविदा के समय 19.02.2021 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।

वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.08.2020 के द्वारा RTPP Act., 2012 में किये गये संशोधन के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक भाग लेने वाली फर्मो के लिए Performance Security राशि को 5 प्रतिशत के स्थान पर 2.5 प्रतिशत एवं MSME फर्मो के लिए 1 प्रतिशत के स्थान 0.5 प्रतिशत लागू होगी। अधिसूचना संलग्न है।

साथ ही वित्त (G&T) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्यूरिटी के नवीन प्रावधानुसार (Form of Bid Security Declaration) घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न है।

449

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

श्रावण 22, गुरुवार, शाके 1942–अगस्त 13, 2020

Sravana 22, Thursday, Saka 1942–August 13, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम

AFINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, dated:

G.S.R. 193 :-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 42.- In rule 42 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) in sub-rule (2), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after sub-rule (2), so amended, the following proviso shall be added, namely :-

"Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2020 to 31.03.2021, the bid security shall be taken as under:-

(a) 1% or as specified by the State Government of the estimated value of subject matter of procurement put to bid, in case of open competitive bidding, two-stage bidding, rate contract or electronic reverse auction;

(b) 0.25% of the quantity offered for supply, in case of Small Scale Industries of Rajasthan; and

(c) 0.5% of the value of bid, in case of sick industries, other than Small Scale Industries, whose cases are pending with Board of Industrial and Financial Reconstruction."

3. Amendment of rule 75.- In rule 75 of the said rules,-

(i) in sub-rule (2), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (2), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

4

"Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2020 to 31.03.2021, the performance security shall be taken as under:-

(a) 2.5%, or as may be specified in the bidding documents, of the amount of supply order in case of procurement of goods and services and 5% of the amount of work order, in case of procurement of works;

(b) 0.5% of the amount of quantity ordered for supply of goods, in case of Small Scale Industries of Rajasthan; and

(c) 1% of the amount of supply order, in case of sick industries, other than Small Scale Industries, whose cases are pending before the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR); and

(iii) in clause (f) of sub-rule (3),-

(i) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing clause (f), so amended, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2020 to 31.03.2021, in case of procurement of works, the successful bidder at the time of signing of the contract agreement, may submit option for deduction of performance security from his each running and final bill @ 5% of the amount of the bill."

[No. F.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017]

By Order of the Governor,
T.Ravikanth,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

LY

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 23-12-2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी – एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/– रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
GFR Rules-8

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To : .

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :---

Name :---

In the capacity of :-----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of

Corporate Seal ---

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : http://rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/रो.उ.प./2020–21/ दिनांकः

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड
ऑनलाईन अल्पकालीन ई–निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि –19.02.2021
समय 3.00 बजे तक

कार्य की अनुमानित लागत – ₹ 425.00 लाख
बोली प्रतिभूति (bid security)– ₹ 4.25 लाख

ई–निविदा प्रपत्र शुल्क–₹ 2000.00

कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र(कार्बन रहित पेपर) मुद्रण कार्य की दर संविदा हेतु ई–निविदा प्रपत्र

1. कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र (कार्बन रहित पेपर) मुद्रण कार्य के लिए ई–निविदा :–
कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण–कार्बन लैस पेपर प्रथम प्रति सफेद **CB 52 GSM** एवं द्वितीय प्रति पीली **CF 53 GSM** विथ लोक, आकार – 8.00" **X** 5.50" अनुमानित संख्या – 08 (आठ) करोड़ (50+50 कार्बनलैस रोगी उपचार पत्रों के सैट सरस पेड पर तैयार करने होगें **Bottom 296 GSM Hard Card Sheet with one extra hard card sheet to insert inside the saras pad, Top 80 GSM Brown paper and minimum carbon coating should be 7 GSM.)**

S.No.	Description of Saras Pad	Specification
1	Size	**8.00"X5.50"** (20.32 CM X 13.97 Cm)
2	Cover Page Brown GSM	**80 GSM**
3	Cover white Page (Hard Card Sheet)	**296 GSM**
4	1st Copy white GSM Carbonage (CB)	**52 GSM**
5	2nd Copy Yellow GSM Carbonage (CF)	**53 GSM**
6	Carbon Coating	**CB+CF=7 GSM**

2. अल्पकालीन ई–निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, ...
डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई–मेल सहित ....
....

3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर
....
....

4. किसको संबोधित किया गया – प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।

5. ई–निविदा सूचना संदर्भ एफ 9 ( )/आरएमएससी/भण्डार/रो.उ.प./2020–21/........... दिनांक

3. अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 2000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या...........दिनांक..................... RMSCL के पक्ष मे देय, आरएमएससी कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत कर दिया है **अथवा** पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'श')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या– 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई–निविदा के समय

19.02.2021 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।

7. आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या .... दिनांक .... प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है **अथवा** पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'श')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या–2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) अल्पकालीन ई–निविदा के समय 19.02.2021 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।

8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई ई–निविदा सूचना **संख्या............ दिनांक................** में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त अल्पकालीन ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

9. अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब' BOQ** में मुद्रण कार्य संबंधी दरें सभी आनुषंगिक प्रभारो सहित अंकित की जानी है एवं GST **की दरें पृथक् से दर्शाई जानी है**।

10. कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रित सामग्री की आवश्यकतानुसार आपूर्ति अंतिम प्रूफ अनुमोदन/कार्यादेश दिनांक से 30 दिवस की अवधि में कर दी जाएगी। निगम द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति अवधि में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

11. कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य हेतु **प्रपत्र 'ब' BOQ** में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष (12 माह) के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, तथा सामग्री विभिन्न चरणों में निगम की आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जाएगी।

12. ई–निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (bid security) के रूप में बैंक ड्राफ्ट /बैंकर चैक संख्या .... दिनांक .... राशि .... भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है **अथवा** पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'श')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या–2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) अल्पकालीन ई–निविदा के समय 19.02.2021 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।

13. ई–निविदा प्रपत्र के साथ GST पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।

14. विनिर्माता/डीलर आदि होने का घोषणा पत्र संलग्न है।

15. टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न है।

16. Price fall clause प्रमाण प्रत्र संलग्न है।

17. पूर्व में मुद्रण कार्य/समान प्रवृत्ति के मुद्रण कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी विभाग, निगम, बोर्ड या राजकीय उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्ट/डिबार नही किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Lr

कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य के लिए निर्धारित अन्य शर्तें

1. ई–निविदा सूचना में प्रकाशित सभी शर्तें इस ई–निविदा का भाग मानी जाएगी।
2. केवल ई–निविदा फार्म के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब' (BOQ)** में ही मुद्रक अपनी दरें दर्शाएँ। निगम के प्रोफार्मा के अतिरिक्त अन्य प्रोफार्मा में दी गई दरें मान्य नहीं होंगी। **प्रपत्र 'ब' (BOQ)** में दी गई दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट निर्धारित प्रोफार्मा में अंकित कर दी गई है। इसमें कोई कांट छांट (Over writing) नहीं है।
3. **निगम द्वारा सर्वप्रथम ऑनलाईन तकनीकी बिड खोली जाएगी जिसमें निम्नांकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–**

I. अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र शुल्क का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट **अथवा** पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'श')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या– 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) अल्पकालीन ई–निविदा के समय 19.02.2021 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।

II. बोली प्रतिभूति (bid security) एवं आरआईएसएल प्रोसेसिंग शुल्क का बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट **अथवा** पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'श')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या– 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) अल्पकालीन ई–निविदा के समय 19.02.2021 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है। (राजस्थान की लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति (bid security) में नियमानुसार छूट देय होगी)।

III. GST पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं आयकर पेनकार्ड की प्रमाणित छाया प्रति।

IV. मशीनरी से संबंधित विवरण (**प्रपत्र 'अ'** के विवरण के अनुरूप ही प्रेस फोर कलर की होना आवश्यक है। फोर कलर मशीन के क्रय से संबंधित आवश्यक बिल/दस्तावेज प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है)।

V. फर्म के मुद्रण संबंधी कार्यो के पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 या 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) का औसत टर्न ओवर राशि ₹ 400.00 लाख (SSI/ MSME Units के लिए 200.00 लाख) या अधिक होना आवश्यक है। साक्ष्य हेतु ई–निविदादाता फर्म द्वारा संबंधित वर्ष के प्रमाणित लेखे यथा लाभ–हानि खाता, ऑडिटेड़ बैलेन्स शीट आदि की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएँ।

VI. मशीनरी की क्षमता एवं मानव शक्ति के संबंध में आवश्यक जानकारी।

VII. यदि फर्म लघु उधोग इकाई है तो प्रचलित नियमों के अनुसार सक्षम विभाग/अधिकारी द्वारा जारी लघु उधोग इकाई का प्रमाण पत्र। **निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'व') में शपथ–पत्र भी संलग्न करना है।**

VIII. फर्म के लैटर पैड पर विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप **प्रपत्र 'द'** में)

IX. ई–निविदादाता यदि फर्म/कम्पनी है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो इस ई–निविदा के लिए विशेष रूप से फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत किया गया है। उसका नाम, पता तथा फर्म/कम्पनी में उसकी स्थिति (Status) का उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करेगा। निगम अन्य किसी से इस संबंध में सम्पर्क नहीं करेगा।

X. वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र **प्रपत्र 'स'** अंकेक्षक/सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित।

XI. Price fall clause प्रमाण **प्रपत्र 'र'** ।

XII. पूर्व में मुद्रण कार्य/समान प्रवृत्ति के मुद्रण कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी विभाग, निगम, बोर्ड या राजकीय उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्ट/डिबार नही किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र **प्रपत्र 'य'**।

XIII. फर्म/कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय होने का प्रमाण–पत्र मय कार्यालय का पता, दूरभाष एवं सम्पर्क सूत्र प्रतिनिधि का नाम एवं मोबाइल नम्बर ।

XIV. स्पेशिफिकेशन के अनुसार नमूने के 05 सरस पैड **प्रपत्र 'ल'** के अनुसार Art work सहित प्रस्तुत करने होंगे। नमूने का सरस पैड कार्यालय समय में देखा जा सकता है। उक्तानुसार तैयार नमूने के सरस पैड दिनांक 19.02.2021 समय दोपहर 2.00 बजे तक प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में भौतिक रुप में (Physically) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

XV. निविदादाता फर्मों के, उनके द्वारा प्रस्तुत नमूने के 05 सरस पैडो में से किन्हीं 01 नमूने की MSME, Testing House से जांच करवाकर जांच रिपोर्ट में स्पेशिफिकेशन के अनुरूप पाये जाने पर ही सफल निविदादाता फर्मो की वित्तीय निविदाएँ खोली जावेगी।

उक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजो/प्रमाण पत्रों का क्रम व्यवस्थित रूप में (I) से (XVI) के अनुसार हो।

4. GST के अतिरिक्त निगम द्वारा कोई भी कर, चुंगी, Cess एवं अन्य प्रभार आदि देय नहीं होगा।
5. वित्तीय निविदा (Price Bid) प्रत्येक ई–निविदादाता द्वारा ई–निविदा प्रपत्र के संलग्न एक्सल फोरमेट में ही प्रस्तुत की जाएगी (**BOQ**) ।
6. **तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मो की वित्तीय बिड किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी**। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मो द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर निगम की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी ई–निविदा को रद्द किया जा सकेगा तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जब्त की जा सकेगी।
7. बोली प्रतिभूति (Bid Security) राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.25% और कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आदेशित मात्रा के मूल्य की 1.0% ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी ई–निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। **निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'व') में शपथ–पत्र भी संलग्न करना है।**
8. राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों को वित्त (GF&AR) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार क्रय में अधिमानता (Purchese Prefirence) प्रदान की जायेगी।
9. ई–निविदाएँ, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
10. परीक्षणों के मामले में, ई–निविदादाता द्वारा जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) पर आपूर्ति किए गए कार्बनलैस रोगी उपचार पत्रों में से एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा शेष सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किए जाएँगें।
11. फर्म को मुद्रित कागज पर कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य की आवश्यकतानुसार आपूर्ति अंतिम प्रूफ अनुमोदन की दिनांक से या कार्यादेश के अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी। निगम द्वारा मुद्रण कार्य हेतु विषय वस्तु फर्म को उपलब्ध करवाई जाएगी जिसकी फर्म द्वारा डिजाईन तैयार कर उसका अनुमोदन विशेषाधिकारी, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर से करवाया जाना होगा तथा अंतिम प्रूफ अनुमोदन के पश्चात ही मुद्रण कार्य प्रारम्भ किया जाएगाँ। प्रूफ/डमी को निगम द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त भी यदि अंतिम मुद्रण में त्रुटियां रह जाती है तो ऐसी स्थिति में त्रुटियों का शुद्धि पत्र फर्म को स्वयं के खर्चे पर मुद्रित कर निगम को उपलब्ध करवाना होगा एवं उक्त त्रुटि संशोधन के कारण सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि होने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान

15

लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार परिनिर्धारित क्षति (LD) की राशि फर्म को देय राशि में से काटी जाएगी।

12. **कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र** मुद्रण कार्य ई–निविदा एवं कार्यादेश की शर्तो के अनुसार पूर्ण करने पर प्रस्तुत बिलों का भुगतान निगम द्वारा एक माह में किया जाएगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।
13. कागज, विद्युत, पानी, स्याही, डीजल, पेट्रोल व अन्य किसी मद की दरों में वृद्धि होने पर फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
14. मुद्रक को मुद्रित सामग्री कार्यादेश में उल्लेखित विधि से बण्डलों में पैक कर निगम के राजस्थान के समस्त 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृहो (DDWs & MCDWs) में F.O.R. पहुँचानी होगी।
15. बोली प्रतिभूति (Bid Security) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सरकार के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक द्वारा दिनांक 19.02.2021 समय दोपहर 2.00 बजे तक प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर के कार्यालय में कमरा संख्या 105 में भौतिक रूप से (Physically) जमा करवाया जाना आवश्यक हैं **अथवा** पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'श')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या– 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) अल्पकालीन ई–निविदा के समय 19.02.2021 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है। **(राजस्थान की लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति (bid security) में नियमानुसार छूट देय होगी)**। निर्धारित समय एवं दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत की गई बोली प्रतिभूति (Bid Security) स्वीकार नही की जाएगी एवं इस स्थिति में निविदा Consider नही की जाएगी।
16. फर्म को आदेशित सामग्री का मुद्रण आदेशित कागज पर विभिन्न निर्धारित जी.एस.एम. एवं साईज में ही निर्धारित स्फेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा। इससे जी.एस.एम. एवं साईज में कमी पर नियमानुसार अनुपातिक राशि बिल में से काटी जाएगी। आपूर्ति के मापदण्डों में सारभूत परिवर्तन किये जाने पर निगम को आपूर्ति अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं फर्म के विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी संपादित की जा सकेगी।
17. ई–निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, निगम में स्वीकार करने एवं सामग्री का नियमानुसार प्रयोगशाला परीक्षण करवाने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
18. बिना ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति (Bid Security) एवं RISL प्रोसेसिंग शुल्क किसी के भी अभाव में ई–निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं ई–निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
19. सफल ई–निविदादाता को वार्षिक अनुबंध राशि की 5% कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जमा करानी होगी। राजस्थान की एसएसआई यूनिट को कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) वार्षिक अनुबंध राशि का 1% मूल्य देना होगा तथा निगम के साथ कार्य सम्पादन के संबंध में नियमानुसार राशि के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर स्वंय के खर्चे पर करार (Agreement) भी करना होगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से रूप में जमा कराई जा सकती है तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) की राशि ₹ 10.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में बैंक गारन्टी स्वीकार्य होगी।
20. ई–निविदा फार्म में किसी प्रकार की कॉंट छॉंट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का संशोधन अस्वीकार्य होगा।
21. बातचीत केवल अपवादिक परिस्थितियों में ही ई–निविदाकारों से प्रचलित नियमों के अनुसार की जाएगी। जहाँ रिंग मूल्य उद्धरित किए गए हो या दरें अत्यन्त विचारणीय हो और क्रय समिति द्वारा प्रचलित बाजार दरों से अत्यधिक ऊँची समझी जाए। बातचीत के पश्चात भी यदि प्रतिस्पर्धात्मक या उचित और युक्तियुक्त दरें प्राप्त नहीं होती है तो क्रय समिति ई–निविदा को नामंजूर करने व पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है।
22. किसी भी ई–निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को होगा।

12

23. निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत नियमानुसार परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damage) राशि 2.5% से 10% वसूल की जाएगी (ई–निविदा प्रकाशन की वास्तविक अवधि को दृष्टिगत रखते हुए)। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किए गए कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:–

क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणी :–

1. विलम्ब की अवधि आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।
2. स्वीकार की गई निर्धारित परिसमापित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
3. यदि सप्लायर किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर को आवेदन करेगा, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

24. सफल ई–निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से मुद्रित सामग्री प्रदान करने में असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य अन्य मुद्रक से करा सकेंगे। इसके साथ ही कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ली जाएगी एवं फर्म के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही जैसे फर्म को ब्लैकलिस्ट करना इत्यादि संपादित की जा सकेगी।

25 मुद्रण कार्य निगम के निर्देशानुसार अनुमोदित एवं **प्रपत्र 'ल'** के डिजाइन के अनुसार करना होगा।

26. अल्पकालीन ई–निविदा में अंकित कार्य की मात्रा प्रतीकात्मक है उसमें कमी/वृद्धि भी की जा सकती है।

27. निगम को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को एकाधिक फर्मों को आवंटित किए जाने का अधिकार होगा।

28. सफल अल्पकालीन ई–निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए अल्पकालीन ई–निविदादाता की कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।

29. अल्पकालीन ई–निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा राजस्थान राज्य में वर्तमान दर संविदा अवधि में ई–निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को मुद्रित सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसके लिए Price fall clause प्रमाण पत्र **प्रपत्र 'र'** भी संलग्न करना होगा।

30. अल्पकालीन ई–निविदा की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 "खुली अल्पकालीन ई–निविदा के लिए ई–निविदा एवं संविदा की शर्ते एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013" के अनुसार लागू होंगी।

31. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म ई–निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी ई–निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

32. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

33. **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

34. **हित का विरोध** –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर

प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

35. **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** – प्रथम अपील प्राधिकारी शासन विशिष्ट सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 **अपीलः**– (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिवस की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–ष)** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण

दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. **अपील का प्ररूप** – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप **(प्रपत्र –'ष')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

   (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

   (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. **अपील फाइल करने के लिए फीस** – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

   (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

36. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

// राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.
रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3
फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in
CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : http://rmsc.health.rajasthan.gov.in

(कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रक अल्पकालीन ई–निविदा फार्म के साथ प्रिटिंग प्रेस संबंधी निम्नलिखित सूचना भी सलंग्न करें)

1. प्रिटिंग प्रेस का नाम ....
2. प्रिटिंग प्रेस का पूरा पता ....
....
3. प्रोपराइटर / साझेदार का नाम व घर का पता
अ. ....
ब. ....
स. ....
4. फोन नंबर (कार्यालय) .... निवास....................
मोबाईल नंबर .... फैक्स नंबर ....
5. यदि प्रेस का रजिस्ट्रेशन प्रेस एवं फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत किया हुआ है तो उसकी एक प्रति संलग्न करें।
6. यदि प्रेस निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर से लघु इकाई के रूप में पंजीकृत है तो उसकी प्रति संलग्न करें।
7. फर्म के मुद्रण संबंधी कार्यो के पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 या 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) का औसत टर्न ओवर राशि ₹ 400.00 (SSI/ MSME Units के लिए 200.00 लाख) या अधिक होना आवश्यक है।
8. मशीनरी से संबंधित विवरण **(प्रपत्र 'अ' के विवरण के अनुरूप ही प्रेस फोर कलर की होना आवश्यक है। फोर कलर मशीन के क्रय से संबंधित आवश्यक बिल / दस्तावेज प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा ई–निविदा निरस्त कर दी जाएगी)।**

अ) कार्यरत आफसैट प्रेस

क.सं.	आफसैट मशीनों का विवरण मय मार्क	साईज	कलर	स्वचालित या हस्त चालित	इम्प्रेशन प्रति घंटा

44

ब) प्रोसेसिंग एवं कम्पोजिंग का विवरण

1. फोटो कैमरा / स्केनर ....

2. प्लेट मेकिंग / ब्लाक मेकिंग ....

3. फोटो टाईप सेंटर / डी.टी.पी.उपकरण ....

स) बाइण्डिग मशीनरी उपकरण

1. कटिंग मशीन की संख्या :— ....

2. फोल्डिंग मशीन की संख्या :— ....

3. स्टेचिंग मशीन की संख्या :— ....

9. प्रेस में कार्यरत श्रमिकों की संख्या :— ....

1. कार्यालय :— ....

2. प्रोसेसिंग शाखा :— ....

3. मुद्रण शाखा :— ....

4. बाइण्डिंग शाखा :— ....

10. साप्ताहिक अवकाश ....

ई—निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र– 'ब' (BOQ)

Tender Inviting Authority: MD, RMSCL, Jaipur

Name of Work: Printing of Carbonless Presoription Slips

Contract No: F.9 ( ) /RMSC/Store/PS/2020-21/------------- Date---------

Bidder Name :	

PRICE SCHEDULE

नोटः- दरों का अंकन अंको व शब्दों में किया जाना आवश्यक होगा तथा GST आवश्यक रूप से पृथक से दर्शाया जाना है

नियम एवं शर्तें :-

1. बण्डल पैकिंग निगम के निर्देशानुसार सख्त पेपर (खाकी पेपर) से छः ओर पैकिंग की जानी होगी।
2. पैकिंग के ऊपर निगम द्वारा जारी विवरण पेपर अंकित कर लगाया जाना होगा।
3. बण्डल पैकिंग व विवरण पेपर की दरें उक्त कार्य में सम्मिलित मानी जाएगी।
4. बाईन्डिंग कार्य में विभिन्न प्रकार के कार्य के विवरणानुसार अर्थात स्पेसिफिकेशन के अनुसार मस्ता। कार्य, गम की आवश्यकता होने पर बाईन्डिंग कार्य की दर पृथक से देय नहीं होगी।
5. फर्म के पास दो ऑफसेट मशीन होना अनिवार्य है। जिसमें एक मशीन की न्यूनतम साईज 18" X 23" अनिवार्य है। साथ ही प्रिन्टिंग, बाईन्डिंग, प्रोसेसिंग, प्लेट मेकिंग आदि समस्त कार्य एक ही परिसर में होना चाहिए।
6. मुद्रण कार्य के तहत मद अधिक होने के कारण न्यूनतम दर वाला का निर्धारण दरों के समय विश्लेषण से किया जाएगा अर्थात जिन मदों में मुख्यतः (अधिक) व्ययों सम्भावित हो इनका वेटेज अधिक रखा जायगा।"

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER	NUMBER	NUMBER #	NUMBER	NUMBER	NUMBER	NUMBER	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Activity/ Item Description	HSN Code	Quantity (In Lacs)	Units (In Saras Pads) (50 OPD Slips in each Saras Pad)	Estimated Rate (In P. Lacs)	Basic Price (In P) for each unit including packing, freight, insurance, etc.	SGST (In P)	CGST (In P)	IGST (In P)	Total GST (SGST+ CGST+ IGST)	Total Amount of each unit in Rs (Basic price + TOTAL GST)	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रोगी उपचार पत्र मुद्रण – कार्बन लैस पेपर प्रथम प्रति सफेद CB 52 GSM एवं द्वितीय प्रति पीली CF 83 GSM विथ लोक, आकार 8-00" X 6-50" अनुमानित संख्या 08 (आठ) करोड़ कार्बनलैस रोगी उपचार पर्चों के सैट सरस पेड (50 OPD Slips in each Saras Pad) पर तैयार करने होंगे (Bottom 200 GSM Hard Card Sheet with one extra hard card sheet to insert inside the saras pad, Top 80 GSM Brown paper and minimum carbon coating should be 7 GSM).	Code 4909	800.0000	1600000.0000	425					0	0.0000	#NAME?
Total in Figures											0.0000	#NAME?

प्रपत्र –'स'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ....का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि ₹ लाखों में)
1	2016–17	
2	2017–18	
3	2018–19	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

या

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि ₹ लाखों में)
1	2017–18	
2	2018–19	
3	2019–20	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण
संख्या

प्रपत्र –'द'

ई–निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए ई–निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/ विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से (forfeited) कर किया जा सकेगा तथा ई–निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र –'य'

ई–निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन प्रिन्टिंग/स्टेशनरी सामग्रियों/कार्बन लेस पेपर पर मुद्रण सामग्री की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति Sub Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र – 'र'

Price fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मेरे/हमारे द्वारा जिन मुद्रित कार्बनलैस रोगी उपचार पत्रो की राजस्थान राज्य में जहाँ कही भी आपूर्ति की जाएगी, उस आपूर्ति में वर्तमान ई–निविदा की दर संविदा अवधि में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को मुद्रित कार्बनलैस रोगी उपचार पत्रों की आपूर्ति नहीं की जाएगी और यदि कम दरों पर आपूर्ति की जाती है तो दरे स्वतः ही उस तिथि से तदनुसार ही Downward संशोधित मानी जाएगी।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र 'ल'

राजस्थान सरकार

राजकीय चिकित्सालय ....

रोगी उपचार पत्र

सर्वे सन्तु निरामयाः

पंजीयन क्रमांकः............................. दिनांक .... पंजीयन शुल्क ₹ ----

रोगी का नाम........................ आयु............ स्त्री / पुरूष........................

मोबाइल नं0 .... बी.एस.बी.वाई. नं0 ....

मुख्य समस्या	
निदान	निदान नं0

	R_x	योग
	हस्ताक्षर चिकित्सक	प्राप्ति हस्ताक्षर रोगी

- दवाओं संबंधित समस्या बताने के लिए सम्पर्क करे 0141–2228059
- इस पर्ची पर लिखी हुई जेनेरिक दवायें "ब्रॉडेड दवाओं" की तरह ही समान रूप से प्रभावी होती हैं। जेनेरिक दवाओं के विरूद्ध दुष्प्रचार से बचें।
- "निःशुल्क दवा एवं जांच की सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है"।
- कूलर, टंकी, परिंडे, फ्रीज ट्रे, फूलदान आदि को प्रति सप्ताह साफ करें एवं घरों के आस–पास पानी एकत्रित न होने देवे।

84

प्रपत्र 'व'

Affidavit

(on non-judicial stamp paper of Rs. 10/-)

I.............................. S/o ....
Aged.............. yrs, residing at .... Proprietor/Partner/Director of M/s .... do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s .... has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center .... The acknowledgment No. is ....Dated ....and has been issued for manufacture of following items:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I....................... S/o ....Aged .... yrs residing at .... Proprietor / Partner/ Director of M/s .... verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

प्रपत्र 'श'

Bank Copy

CAUTION : USE "FCMBR" MENU OPTION IN FINACLE INSTEAD OF "TM"

Bank Copy

punjab national bank DIST. NO.

Branch	
Institute Name	Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur
Institute ID	**RMSCJ - A/c No. 2246002100024414**

Date of Deposit DD MM YY

DETAILS OF THE SUPPLIER

Supplier Name	
Tender Ref. No.	
Type of Deposit	Select any one out of - Tender Fees/EMD/SD/Tender Processing fees/Others
Mobile No.	

Cash Deposit:

Denomination	₹	Ps
1000 *		
500 *		
100 *		
50 *		
20 *		
10 *		
5 *		
Coins *		
Total		

Cheque Deposit:

Chq No	Date of Chq	Name of Bank	₹	Ps

Total fee payable ₹

Commission ₹ 0 0 0 0 0 - 0 0

Total amount ₹

Amount (in words): ₹

Name of the Depositor

Signature

Address for communication

For Bank use only

Acknowledgement

Cashier/Officer

Customer Copy

Customer Copy

punjab national bank DIST. NO.

Branch	
Institute Name	Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur
Institute ID	**RMSCJ - A/c No. 2246002100024414**

Date of Deposit DD MM YY

DETAILS OF THE SUPPLIER

Supplier Name	
Tender Ref. No.	
Type of Deposit	Select any one out of - Tender Fees/EMD/SD/ Tender Processing fees/Others
Mobile No.	

Cash Deposit:

Denomination	₹	Ps
1000 *		
500 *		
100 *		
50 *		
20 *		
10 *		
5 *		
Coins *		
Total		

Cheque Deposit:

Chq No	Date of Chq	Name of Bank	₹	Ps

Total fee payable ₹

Commission ₹ 0 0 0 0 0 - 0 0

Total amount ₹

Amount (in words): ₹

Name of the Depositor

Signature

Address for communication

For Bank use only

Acknowledgement

Cashier/Officer

प्रपत्र – 'ष'

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.................of......................

Before the.................................... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

....

....

.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

....

....

Place .... Date

....

Appellant's Signature